

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

तमिलनाडु

“ऑडिट भवन”, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट,
चेन्नै – 600018.



OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT - I)

TAMIL NADU

“Audit Bhawan”, 361, Anna Salai, Teynampet,
Chennai - 600018.

No.Pr.AG (Audit-I)/Admn.III/I/2026-27/37

Dated: 13.05.2026

OFFICE ORDER

As per Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 in alignment with Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Committee for redressal of complaints of sexual harassment of working women at this office is re-constituted with the following members –

Sl. No	Name and Designation	Position Held	Contact number
1.	Ms. S. Manonmani, Sr. DAG	Chairperson	9840456502
2.	Ms. Malini Krishnamurthy, SAO	Member	9841291992
3.	Shri R. Ravichandran-II, SAO	Member	8667759698
4.	Ms. Yasodhai Damodaran	NGO Member	8754493216

2. The committee is entrusted with monitoring of the various principles laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka vs State of Rajasthan and to make periodical report to the Principal Accountant General (Audit-I), Tamil Nadu.

3. The Committee may meet quarterly to ensure that redressal of complaints, if any, on the subject and to review preparedness for prevention and redressal of grievances and abide by any other instructions issued by the Headquarters Office and Competent Authority in this regard from time to time.

(This issues with the approval of the Principal Accountant General (Audit-I))

Senior Deputy Accountant General/Admn.

Copy to

All Committee Members

All Group Officers

All Branch Officers - for wide circulation among section staff

All Section emails

All RA Units

EDP Cell

- for uploading the same in the office website and
TV Display

All Notice Boards

Via e-mail

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)

तमिलनाडु

“ऑडिट भवन”, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट,
चेन्नै – 600018.



OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT - I)

TAMIL NADU

“Audit Bhawan”, 361, Anna Salai, Teynampet,
Chennai - 600018.

सं. Pr.AG (Audit-I)/Admn. III/I/2026-27/37

दिनांक: 13.05.2026

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संरेखण में केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के अनुसार इस कार्यालय की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठित की गई है :-

क्रम.सं.	नाम व पदनाम	ग्रहित पद	संपर्क संख्या
1.	सुश्री . एस. मनोन्मणी, वरि.उप महालेखाकार	अध्यक्ष	9840456502
2.	सुश्री.मालिनी कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य	9841291992
3.	श्री. आर. रविचंद्रन-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य	8667759698
4.	सुश्री. यशोदै दामोदरन	एन. जी. ओ. सदस्य	8754493216

2. समिति को विशाखा बनाम राजस्थान राज्यों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों की निगरानी और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) तमिलनाडु को आवधिक रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है ।

3. समिति ऐसी शिकायतों, यदि कोई हों, निवारण को सुनिश्चित करने के लिए और शिकायतों के निवारण एवं रोकथाम की तैयारी की समीक्षा के लिए तिमाही बैठक करेगी और इस संबंध में समय-समय पर मुख्यालय कार्यालय और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य किसी अनुदेशों का पालन करेगी ।

(यह प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) के अनुमोदन से जारी है ।)

वरिष्ठ उप महालेखाकार / प्रशासन

प्रति/-

सभी समिति सदस्य

सभी वर्ग अधिकारी

सभी शाखा कार्यालय- अनुभाग के कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रसार हेतु

सभी अनुभागों के ई-मेल

सभी आर ए ईकाई

ई.डी.पी. कक्ष- कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने और

टी वी डिस्प्ले के लिए

सभी सूचना पट्टों

ई-मेल के जरिए

No.Pr.AG (Audit-I)/Admn.III/I/2026-27/38

Dated: 13.05.2026

OFFICE ORDER

As per Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 in alignment with Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Committee for redressal of complaints of sexual harassment of working women at Madurai Branch of this Office is constituted with the following members –

Sl. No	Name and Designation	Position Held	Contact number
1.	Ms. S. Manonmani, Sr. DAG	Chairperson	9840456502
2.	Ms. B. Kokila, SAO	Member	9444523767
3.	Shri T. S. Ganesh Babu, SAO	Member	9442219256
4.	Ms. Selva Gomathi	NGO Member	9843460061

2. The committee is entrusted with monitoring of the various principles laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka vs State of Rajasthan and to make periodical report to the Principal Accountant General (Audit-I), Tamil Nadu.

3. The Committee may meet quarterly to ensure that redressal of complaints, if any, on the subject and to review preparedness for prevention and redressal of grievances and abide by any other instructions issued by the Headquarters Office and Competent Authority in this regard from time to time.

(This issues with the approval of the Principal Accountant General (Audit-I))



Senior Deputy Accountant General/Admn.

Copy to

All Committee Members

All Group Officers

All Branch Officers - for wide circulation among Section staff

All Section emails

All RA Units

EDP Cell

- for uploading the same in the office website and
TV Display

All Notice Boards (including Madurai Branch Office)

Via e-mail

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)

तमिलनाडु

“ऑडिट भवन”, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट,
चेन्नै – 600018.



OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT - I)

TAMIL NADU

“Audit Bhawan”, 361, Anna Salai, Teynampet,
Chennai - 600018.

सं. Pr.AG (Audit-I)/Admn. III/I/2026-27/38

दिनांक: 13.05.2026

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संरेखण में केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के अनुसार इस कार्यालय के मदुरै शाखा की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित की गई है :-

क्रम.सं.	नाम व पदनाम	ग्रहित पद	संपर्क संख्या
1.	सुश्री एस. मनोन्मणी,, वरि.उप महालेखाकार	अध्यक्ष	9840456502
2.	सुश्री बी. कोकिला, वरि.लेप.अ.	सदस्य	9444523767
3.	श्री.टी.एस. गणेश बाबू, वरि. लेप.अ.	सदस्य	9442219256
4.	सुश्री. सेल्व गोमती	एन. जी. ओ. सदस्य	9843460061

2. समिति को विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों की निगरानी और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) तमिलनाडु को आवधिक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है ।

3. समिति ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए और शिकायतों के निवारण एवं रोकथाम की तैयारी की समीक्षा के लिए तिमाही बैठक करेगी और इस संबंध में समय-समय पर मुख्यालय कार्यालय और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य किसी अनुदेशों का पालन करेगी ।

(यह प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) के अनुमोदन से जारी है ।)

वरिष्ठ उपमहालेखाकार / प्रशासन

प्रति/-

सभी समिति सदस्य

सभी वर्ग अधिकारी

सभी शाखा कार्यालय – अनुभाग के कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रसार के लिए

सभी अनुभाग ई-मेल

सभी आर ए एककों

ई.डी.पी. कक्ष- कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने और

टी वी डिस्प्ले के लिए

सभी सूचना पट्टों (मदुरै शाखा कार्यालय सहित)

ई-मेल के जरिए